न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी पर्वतसिंह चूण्डावत
राजस्व प्रार्थना पत्र 128/2018

01. श्रीमति रेखा पत्नी सुभाषचन्द
जाति जैन निवासी ग्राम खरवा, तहसील मसूदा जिला अजमेर, राजस्थान।

................प्रार्थीगण

बनाम

01. श्री धन्ना पुत्र श्री भंवरू जाति रावत निवासी ग्राम खरवा, तहसील मसूदा जिला अजमेर,
02. श्री दीनदयाल माहेश्वरी पुत्र श्री जयकिशन माहेश्वरी जाति माहेश्वरी निवासी ग्राम खरवा, माहेश्वरी पेटोल पम्प अजमेर रोड खरवा तहसील मसूदा जिला अजमेर,।
09. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मसूदा।

................अप्रार्थिगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थीया ने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम खरवा तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1032 रकबा 01–15–00 व 1033 रकबा 00–10–00. बिस्वा उसकी खुदकाश्त से खातेदारी की भूमि है जिनमें पडौसी काश्तकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते है अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण होकर उपस्थित पत्थरगढी करने पर कोइ ऐतराज नही किया ।

अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम खरवा पटवार मंडल खरवा की जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता संख्या 324 व 325 में खसरा नम्बर 1032 रकबा 01–15–00 व 1033 रकबा 00–10–00. बिस्वा प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाई जाती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते है कि –

आदेश

तहसीलदार मसूदा को ग्राम खरवा स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 1032 रकबा 01–15–00 व 1033 रकबा 00–10–00. बिस्वा में मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार राशि प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2019 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

(पर्वतसिंह चूण्डावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

(पर्वतसिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.13 15:27:35 IST
Reason: SelfAttested